विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(प्रश्न अनुभाग)

संख्याः 15/1/प्र0/2012 दिनांकः 10.02.2026

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में मा0 सदस्यों के प्रश्नों के निर्धारण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली-2023 के नियम-29(5) तथा नियम-30(3) के अन्तर्गत निर्धारण की प्रक्रिया हेतु मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (सोलहवां संस्करण)'' के अध्याय-06 के अन्तर्गत निदेश संख्या-43(3) को तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित रूप में लागू कर दिया गया हैः-

एक ही विषय पर प्राप्त प्रश्नों का निर्धारण	43(3) जब दो या दो से अधिक सदस्य समरूप विषय पर प्रश्न दें तो जिस सदस्य का प्रश्न उत्तर के लिए ग्राह्य हो जाय तो अन्य सदस्य का नाम उस सदस्य के नाम के साथ तभी रखा जायेगा जब कि उन प्रश्नों की सूचना देने का दिनांक ग्राह्य प्रश्न के समरूप हो, परन्तु अधिकतम एक सदस्य का नाम सूचना की प्राथमिकता के क्रम में प्रश्न के सामने दिखाया जायेगा। परन्तु यह कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें अधिकतम 03 तारांकित प्रश्नों में ही सदस्यों के नाम जोड़े जायेंगे। अन्य सदस्यों द्वारा भिन्न तिथियों में एक ही विषय पर दिये गये प्रश्न अनुवर्ती वारों में निर्धारित कर दिये जायेंगे।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 15(1-8)/1/प्र0/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ,
2. मा0 मुख्यमंत्री, मा0 उप मुख्यमंत्रियों, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को (मा0 मंत्रियों) की सूचनार्थ,
3. मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा के निजी सचिव को मा0 नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
4. मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
5. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग,
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
7. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
8. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

शरद शुक्ला,
विशेष सचिव।